न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2020 (रसद)
पंजीयन दिनांक 14.08.2020
G.C.M.S. NO. :- 2020/00302

राज्य सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़

-प्रार्थी

बनाम

1-श्री नरेन्द्र सिंह पिता अभय सिंह राजपूत निवासी रिठोला, थाना सदर, चित्तौड़गढ़
2-श्री शेरखान उर्फ दीपू उर्फ टीपू पिता हुसैन खान निवासी खेड़ा बनस्टी, थाना शम्भूपुरा

-विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थितिः- 1-श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 17.08.2021

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.05.2020 को शाहना खानम पुलिस उप अधीक्षक वृत्त चित्तौड़गढ़ के मुताबिक मुखबीर सूचना के ओछडी फोरलेन पर सड़क के दक्षिण में शिव शंकर मेनारिया निवासी ओछडी के बाडे में पहुंचे जहां अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध कारोबार करने वाला व्यक्ति पुलिस जाप्ता देख मौके से भाग गया जिसका नाम श्री नरेन्द्र सिंह निवासी रिठोला होना ज्ञात आया। मौके पर एक ड्रम में 50 लीटर डीजल व एक ड्रम में 115 लीटर पेट्रोल एवं खाली 7 ड्रम एवं 50-50 लीटर की 8 जरीकेने, 20 लीटर की प्लास्टिक की जरीकेन, 2 किमे, लोहे के मेजर 5-5 लीटर के दो, 10 लीटर का तेल नापने का एक स्टील का गेज नली, ड्रम से तेल निकालने का हेण्डल पम्प, एक पानी की आधा एचपी की मोटर भंगार एवं एक मारुति ओम्नी वेन नम्बर RJ 30 UA 0212 को वजह सबूत जब्त किया गया। इस प्रकार विपक्षीगण के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं धारा 379 भा. द. सं. के तहत

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 16/2020 (रसद)
राज्य सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ बनाम श्री नरेन्द्र सिंह पिता अभय सिंह राजपूत निवासी रिठेला वगैरा

अपराध प्रमाणित पाया जाने से जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण हेतु धारा 6 ए के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने कथन किया कि विपक्षीगण द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोल-डीजल की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय अन्य सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। एनएच 79 ओछडी फारलेन के सड़क के दक्षिण में शिव शंकर मेनारिया निवासी ओछडी के बाडे में टीन शेड के नीचे एक ड्रम में 50 लीटर डीजल, एक ड्रम में 115 लीटर पेट्रोल, 7 खाली ड्रम, 50-50 लीटर की 8 जरीकेने खाली व 20 लीटर की प्लास्टिक की एक खाली जरीकेन, 2 लोहे के किमे, 5-5 लीटर के दो लोहे के मेजर एवं 10 लीटर का तेल नापने का स्टील का एक गेज, ड्रम से तेल निकालने का एक हेण्डल पम्प तथा आधा एचपी की पानी की एक भंगार मोटर आदि मौके पर अवैध रूप से पाए गए तथा उक्त स्थान पर विपक्षीगण के पास कोई अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स भी नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के मध्यनजर विपक्षीगण द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोख्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 50 लीटर डीजल एवं 115 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए दिनांक 24.05.2020 को जब्तशुदा कुल 50 लीटर डीजल, 115 लीटर पेट्रोल मय ड्रम, 7 खाली ड्रम, 50-50 लीटर की 8 जरीकेने खाली व 20 लीटर की प्लास्टिक की एक खाली जरीकेन, 2 लोहे के किमे, 5-5 लीटर के दो लोहे के मेजर एवं 10 लीटर का तेल नापने का स्टील का एक गेज, ड्रम से तेल निकालने का एक हेण्डल पम्प तथा आधा एचपी की पानी की एक भंगार मोटर आदि को राजसात करने तथा जब्तशुदा वाहन ओम्नी

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 16/2020 (रसद)
राज्य सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ बनाम श्री नरेन्द्र सिंह पिता अभय सिंह राजपूत निवासी रिठेला वगैरा

वेन संख्या RJ 30 UA 0212 को 4.00 लाख रूपये का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर उसके वैध स्वामी के पक्ष में रिलीज करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल 50 लीटर डीजल व 115 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री को थानाधिकारी, पुलिस थाना, सदर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official